(7)

क्रम-संख्या–187 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020

आश्विन 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 820/ग्यारह-2–20-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(147)-2020

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0–263

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2–2005/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(155)-2018, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को अधिक्रमित करके, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चवालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चवालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 89 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 89 में, उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(4ख) जहाँ कर का संदाय किए बिना शून्य दर पूर्तियों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने –

(क) ऐसी पूर्तियाँ प्राप्त की हैं, जिन पर पूर्तिकर्ता अधिसूचना संख्या क0नि0-2–1663/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(73)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 की प्रसुविधा का उपभोग किया है; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 78/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 79/2017–सीमाशुल्क, तारीख 1‿ अक्टूबर, 2017 की प्रसुविधा का उपभोग किया है, वहाँ ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचानाओं के अधीन प्राप्त इनपुटों के सम्बन्ध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त सीमा तक इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में उपभोग किया गया है, का प्रतिदाय प्रदत्त किया जायेगा।"

नियम 96 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम 96 में, उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया, अर्थात् :–

"(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसी पुर्तियाँ प्राप्त नहीं करनी चाहिये, जिन्होंने –

(क) ऐसी पूर्ति प्राप्त की है जिनमें, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या क0नि0-2–1696/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(71)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 का सिवाय उसके, जहाँ तक उनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूँजी माल स्कीम या अधिसूचना संख्या क0नि0-2–1663/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(73)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के सम्बन्ध में पूँजी माल प्राप्त करने से है, के अन्तर्गत प्रसुविधा का उपभोग किया गया है; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3 उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 78/2017– सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 79/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के अन्तर्गत प्रसुविधा का उपभोग, सिवाय उसके जहाँ तक उसका सम्बन्ध निर्यात संवर्धन पूँजी माल स्कीम के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूँजी माल को प्रदान करने से है, किया गया है।"

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

319 RPH (Goods and Service Tax-2) (Order no. 147) 2020 Data 4E

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 820/XI-2–20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(147)-2020, dated September 29, 2020 :

No. 820/XI-2–20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(147)-2020

Dated Lucknow, September 29, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, by superseding the previously issued notification no. KA. NI.-2–2005/XI-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(154)-2018, dated November 13, 2018, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :–

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(FORTY FOURTH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Forty fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 9th October, 2018.

Amendment of rule 89

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 89, *for* the sub-rule (4B), the following sub-rule shall be *substituted,* namely :-

"(4B) Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

(a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the notification no. KA. NI.-2–1663/XI-9(15)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(73)-2017, dated November 16, 2017, or notification no. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1321(E), dated the 23rd October, 2017; or

(b) availed the benefit of notification no. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification no. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1299(E), dated the 13th October, 2017, the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted."

Amendment of rule 96

3. In the said rules, in rule 96, *for* sub-rule (10), the following sub-rule shall be *substituted*, namely :–

"(10) the persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have –

(a) received supplies on which the benefit of the notification no. KA. NI.-2-1696/XI-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(71)-2017, dated November 16, 2017, except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or notification no. KA. NI.-2-1663/XI-9(15)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(73)-2017, dated November 16, 2017 has been availed, or notification no. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1321(E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification no. 78/2017-customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification no. 79/2017-customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1299(E), dated the 13th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 319 राजपत्र–2020–(772)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 48 सा0 राज्य कर–2020–(773)–1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।